



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-ऑवला -बरेली ।
ई-मेल eeeddaonla@gmail.com

पत्रांक सं:-2543/पी०टी०डब्ल्यू०

दिनांक:-07/08/2021

विषय:- टयूबवैल के नये कनेक्शन हेतु विद्युत देने के नियम व शर्तें व अनुमति व्यय।

श्री/श्रीमती - सोमपाल

पुत्र/पति - श्री सेवाराम

ग्राम - मिलक जैतपुर शरीफपुर

पोस्ट - मझगवाँ

ब्लाक - मझगवाँ

प्रिय महोदय,

कृपया स्वीकृत सं० /21-22 दिनांक- / /2021
का अवलोकन करें। जिसके द्वारा आपका निम्नलिखित विद्युत भार व विधायें की जा चुकी है।
स्वीकृत विद्युत भार कनेक्शन देने में होने वाला कार्य

(अ) पावर.....7.5..... हा०पा०

(ब) बत्ती व पंखा.....वाट

(क) लाईन की लम्बाई :

(अ) 11 के.वी.....60.....मीटर

(ब) एल.टी.....0.....मीटर

(ख) 11/04 के.बी. उपग्रह

(अ) नया उपग्रह 25 के.बी.ए.

(ब) क्षमता वृद्धिके.बी.ए.से.के.बी.ए.

(ग) सर्विस कनेक्शन

(अ) टाईप.....C.....

(ब) केबिल की लम्बाई.....15.....मीटर

स्वीकृत विधायें

(अ) टयूबवैल कनेक्शन

(ब) सम्पूर्ण जमा योजना

(स)

(द)

(ब)

स्टीमेट सेक्शन नं० 164/SDOII/Muk/20-21 रु- 116199.00 दिनांक: 05/08/2021

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त कनेक्शन के लिए निम्नलिखित धन जमा करें एवं आवश्यक औपचारिकताये पूर्ण करें -

(अ) धन जो जमा करना है :-

01	प्रक्रिया शुल्क	0.00
02	जमानत की धनराशि	2400.00
03	अन्य देय	4957.00
04	सर्विस कनेक्शन व्यय जो वापिस न होगा	108742.00
05	योग	116099.00

- (1) विद्युत उपयोग की दरें, मासिक व वार्षिक न्यूनतम गारन्टी के समय - समय पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा लागू होगी, जो आपको देय होगी।
- (2) आपको भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 तथा भारतीय नियमावली 1956 एवं विद्युत वितरण कोड - 2005 के प्राविधानों को पूर्णतः पालन करना होगा।
- (3) निगम द्वारा समय - समय लागू Condition of Supply का आपका अनुपालन करना होगा।
- (3 अ) अनुबन्ध के समय जमीन जायदाद के प्रमाण - पत्र खसरा, खतौनी/बयानामा/किशायानामा/अथवा अन्य प्रमाण पत्र जो अदालत द्वारा मान्य हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कृपया पन्ना उलटिये

(4) आपको परिषद के आदेशानुसार नलकूप का सामान अपने वाहन द्वारा ले जाना होगा तथा / लाइन बनने में जो मजदूरी बजरी व सीमेन्ट की आवश्यकता होगी उसकी भी प्रबन्ध आपको करना

(5) उपभोक्ता को B&L फार्म जमा करने के बाद ही कनेक्शन दिया जायेगा।

(स) निरीक्षक शुल्क -

- (1) मीटर निरीक्षण शुल्क रूपये राज्य कोष में विद्युत निरीक्षण उत्तर प्रदेश शासन के लिये निम्नलिखित
- (2) भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क यदि आप उपरोक्त नियम व शर्तों से सहमत हो तो इस पत्र की तिथि के अन्दर उपरोक्त धनराशि जमा कर दें। तथा आवेदक द्वारा 100/- रूपये के नानज्युडिशियल स्टाम्प पेपर (5 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटो कापी) व 2 गवाहों (प्रत्येक की 1 पासपोर्ट साइज फोटो एवं आधार कार्ड की फोटोकापी) तथा नलकूप का B&L फार्म के साथ इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा दिए पत्र व्यवहार तथा जमा किये गये धन की रसीद लाना आवश्यक है। अनुबन्ध के पूर्व फिटिंग सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर लाइन आदि का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा व उसके बाद आपका संस्थापन सही पाये जाने पर कनेक्शन दिया जायेगा।

नोट :

- 1. इस टी0सी0 के निर्गत होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर टी0सी0 का धन जमा करने एवं कराने की बाध्यता है। निर्धारित अवधि के बाद स्वीकृत भार स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 2. आवेदक के अतिरिक्त जिन अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि से लाइन गुजरेगी, उन सभी व्यक्तियों के अनुबन्ध के समय व्यक्तिगत हलाफनामा/सहमति उपस्थित होकर देनी होगी।
- 3. प्राक्कलन की धनराशि जनसुविधा केन्द्र पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाने एवं मैसेज के बाद ऑनलाइन जमा कर रसीद इस खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी।
- 4. उपभोक्ता/आवेदक द्वारा प्राक्कलन जमा करने के साथ ही सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा की साईट <http://vidyutsuraksha.org> पर ऑनलाईन चालान जमा कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति इस खण्ड कार्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में विद्युत दुर्घटना के लिए आवेदक/उपभोक्ता स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे।



रामदास

(अधिशाली अभियन्ता)

